**भारत सरकार**

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 847**

**27 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**प्रदूषण को रोकने तथा शहरी अपशिष्ट प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) और सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) में सुधार के लिए उपाय**

**847 श्री के. आर. एन. राजेश कुमारः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या शहरी अपशिष्ट प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) और सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) सुविधाओं की समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रमुख शहरों में प्रदूषण संबंधी चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं; और

(घ) इस समस्या के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**

**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**

**(श्री तोखन साहू)**

(क) और (ख): स्वच्छता राज्य का विषय है। राज्य/ शहरी स्थानीय निकाय देश के शहरी क्षेत्रों में शहरी अपशिष्ट प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) और सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) सुविधाओं सहित स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन, कार्यान्वयन, परिचालन और समीक्षा के लिए उत्तरदायी हैं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को नीतिगत दिशा-निर्देश, वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करके, नियमावली/मानक प्रचालन प्रक्रियाएँ (एसओपी) साझा करके तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी के चयन हेतु समय-समय पर परामर्शिकाएँ/दिशा-निर्देश जारी करके उनका सहयोग करता है।

1 अक्टूबर, 2021 को शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 के अंतर्गत 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में मल स्लज और सप्टेज से समग्र रूप से निपटने हेतु प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) को एक नए घटक के रूप में शामिल किया गया है।

1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सीवरेज और सप्टेज प्रबंधन (एसटीपी सहित) का कार्य 25 जून, 2015 को शुरू किए गए अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन (अमृत) और 1 अक्टूबर, 2021 को शुरू किए गए अमृत 2.0 के अंतर्गत किया जा रहा है जिसका उद्देश्य शहरों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनाना है। इस मिशन के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजनाओं के चयन, मूल्याकंन, प्राथमिकता और कार्यान्वयन का अधिकार प्रदान किया गया है।

(ग) और (घ): सरकार ने 2019 में 24 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 130 शहरों में वायु प्रदूषण कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की कार्यनीति के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय, राज्य और शहरी-स्तरीय कार्य योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन पर अधिक बल देता है। शहर-विशिष्ट इन स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं में मृदा एवं सड़क की धूल, वाहन, घरेलू ईंधन, अपशिष्ट एवं बायोमास का दहन, निर्माण सामग्री तथा उद्योगों जैसे वायु प्रदूषण के विशिष्ट स्रोतों को लक्षित किया गया है। इन कार्य योजनाओं में उत्तरदायी एजेंसियों का निर्धारण करते हुए अल्पकालिक प्राथमिकता वाले उपायों के साथ-साथ मध्यम एवं दीर्घकालिक उपाय भी शामिल किए गए हैं।

एनसीएपी के अंतर्गत, शहरों को प्रमुख कमियों को पूरा करने के लिए निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, वायु प्रदूषण के शमन एवं रोकथाम में योगदान देने वाली केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की विभिन्न योजनाओं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), अमृत, स्मार्ट सिटी मिशन, सतत, पीएम ई-बस सेवा, पीएम ई-ड्राइव तथा नगर वन योजना के लाभों का कन्वरजेंस के माध्यम से भी उपयोग किया जाता है।

*****